पत्रांक 1982 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0,
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 10/7/17

विषयः **जिला स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्रों (District Emergency Operation Center) के सुदृढ़ीकरण के संबंध में।**

महाशय,

बिहार राज्य एक बहुआपदा प्रवण राज्य है। अपनी विषेष भौगोलिक स्थिति के कारण यह राज्य लगभग पूरे वर्ष किसी–न–किसी प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रहता है। आपदाओं के कुप्रभाव के न्यूनीकरण के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे है, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड़ मैप (DRR Road Map) 2015–2030 तैयार कर मंत्री परिषद की स्वीकृति प्राप्त की गयी है। DRR Road Map के कार्यान्वयन हेतु Road Map Implementation Support Unit (RISU) का गठन भी किया गया है।

2. आपदाओं के दौरान त्वरित कार्रवाई करने, समन्वित ढ़ंग से कार्य करने तथा विभिन्न हितधारको के बीच सूचनाओं के त्वरित एवं प्रभावी ढंग से आदान–प्रदान सुनिश्चित करने के उद्देष्य से राज्य स्तर पर राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र एवं जिला स्तर पर जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों की स्थापना की गई है। आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से राज्य एवं जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर इन आपातकालीन संचालन केन्द्रों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इन्हें आवश्यक उपस्करों/सामग्रियों से सुसज्जित एवं आधुनिक संचार उपकरणों से लैस करने की कार्रवाई की जानी है। साथ ही यह भी आवश्यक हो जाता है कि राज्य एवं जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों को पूर्णरूपेण क्रियाशील किया जाय, ताकि वे 24X7 कार्य कर सकें एवं किसी भी आपात स्थिति में जिला पदाधिकारी–सह–इनसिडेंट कमांडर अविलंब आपातकालीन संचालन केन्द्र में पहुँच कर विभिन्न एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर सकें।

3. जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों के संचालन हेतु पूर्व से कर्मियों का कोई पद सृजित नहीं है। फलस्वरूप जिला स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं हो पाए हैं।

अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एवं 24X7 के पैटर्न पर संचालन के लिए विभाग द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

(A) **मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना**

(क) जिला स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्रों के 24X7 संचालन हेतु आठ घंटे के रोस्टर पर तीन–तीन कर्मियों की न्यूनतम आवश्यकता होगी:–

i. कम्प्युटर प्रोग्रामर – जो DEOC का तकनीकी कार्य, संबंधित विभागों/एजेंसियों, जिला एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ सूचनाओं का आदान–प्रदान, प्राप्त आंकड़ों का संकलन, संधारण एवं विश्लेषण का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के संचालन की जिम्मेदारी भी इनकी होगी।

ii. डाटा इन्ट्री ऑपरेटर – जो डाटा इन्ट्री का काम करेंगे। साथ ही कम्प्यूटर प्रोग्रामर को उनके कार्यो में सहयोग करेंगे।

iii. आई0टी0 ब्यॉय – जो दूरभाष, फैक्स, फोटो कॉपी आदि का कार्य करेंगे।

अतः DEOC के 24X7 संचालन हेतु तीन पालियों में कुल नौ कर्मियों की आवश्यकता होगी।

निदेश दिया जाता है कि उक्त मानव संसाधन (तीन कम्प्यूटर प्रोग्रामर, तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा तीन आई0 टी0 बॉय) की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के आधार पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जाय। बेल्ट्रॉन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं आई0 टी0 बॉय की कार्य दक्षता की जाँच अपने स्तर पर कर लिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लें कि चयनित मानव संसाधन रात्रि पाली में कार्य करने के लिए तैयार हों एवं संबंधित जिले के निवासी हों।

अनुरोध है कि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों के लिए उपरोक्त मानव संसाधन की व्यवस्था 20 जुलाई 2017 तक तक अवश्य सुनिश्चित कर ली जाय।

उक्त मानव संसाधन पर होने वाले व्यय के निमित्त राशि का प्रबंध आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाएगा।

(ख) प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र - जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभावी संचालन हेतु उपर्युक्त नौ कर्मियों के अतिरिक्त एक पदाधिकारी स्तर के कर्मी की आवश्यकता होगी, जो जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। किसी भी आपदा के दौरान आपातकालीन घटना की पूर्ण जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने पर वे इसकी सम्पुष्टि आधिकारिक तौर पर करेगें तथा इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी एवं राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र के

प्रभारी पदाधिकारी को देंगें। DEOC को प्राप्त सूचना एवं घटना का अभिलेखन संबंधित पंजी में दर्ज करायेंगे एवं त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित को निदेशित करेंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्बाद्ध संचालन सुनिश्चित करायेंगे।

(ग) लिपिक – कार्यालय कार्य हेतु दो लिपिक की आवश्यकता होगी, जो संचिकाएं/अभिलेखों आदि का संधारण एवं रखरखाव तथा प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के द्वारा सौपे गए अन्य कार्य करेंगे।

विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के लिए संविदा के आधार पर एक पद एवं लिपिक के लिए संविदा के आधार पर दो पदों का सृजन प्रत्येक जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के लिए कराया जाय। यह भी निर्णय लिया गया है कि पद सृजन के पश्चात प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवा निवृत पदाधिकारियों एवं लिपिक के पद पर बिहार सरकार में लिपिक के पद से सेवानिवृत कर्मियों की नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके किया जाय।

परन्तु उपरोक्त पदों के सृजन एवं नियुक्ति में प्रक्रियात्मक बिलंब होने की संभावना को देखते हुए निदेश दिया जाता है कि **जबतक प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र एवं लिपिक की नियुक्ति की प्रकिया पूर्ण नहीं हो जाती है तबतक के लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से** जिला में उपलब्ध किसी वरीय पदाधिकारी को जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करेंगे, जो अपने कार्यों के अतिरिक्त यह कार्य भी करेंगे। इसी प्रकार दो लिपिकों की भी प्रतिनियुक्ति जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में किया जाय, ताकि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को तत्काल प्रभाव से कियाशील किया जा सके।

(B) जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों के लिए सामग्री एवं उपस्कर की व्यवस्था सुनिश्चित करना –

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के भवन में मॉडल प्राक्कलन के अनुसार पदाधिकरियों के लिए एक कार्यालय कक्ष, सहायकों के लिए वर्कस्टेशन एवं बैठक इत्यादि हेतु एक सभाकक्ष का प्रावधान है। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों में निम्न सामग्री/उपस्कर की न्यूनतम आवश्यकता होगी।

Sr. No.	Name of Item	Unit
1	Desktop Computer	02
2	Workstation Table	04
3	Workstation Revolving Chair	04
4	Extra Chair for DEOC Office	04
5	Table for EOC In-charge	01
6	Revolving Chair for EOC In-charge	01
7	Visitor's Chair	04
8	Meeting Table for 12 people	01
9	Revolving Chair for Meeting Table	12
10	Extra Chair for Meeting Hall	10

11	Laser Jet Printer	02
12	Projector for Meeting Hall	01
13	LED T.V (32inch) for Workstation	01
14	Photostat Machine	01
15	Fax Machine with Separate Telephone Connection	01
16	Landline Telephone Connection With 2 Hunting Line Facility and Internet Connection	01
17	Multiparty Audio and video conferencing system at all 38 DEOC	01
18	Telephone Set (Vol Phones)	02
19	Cable Connection for T.V	01
20	Almirah	02
21	UPS for EOC	01
22	A/C (1.5 ton optional)	03
23	Stationary as Required/ Fixture	
24	Scanner	01
25	Ceiling Fan	05
26	Tube Light	03
27	LED Bulbs	10

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों के लिए सामग्रियों एवं उपस्कर हेतु वर्ष 2009 में 14 जिलों को प्रति जिला 1,71,500/– की दर से UNDP मद से राशि आवंटित किया गया था। शेष 24 जिलों को वर्ष 2010 में प्रति जिला 2,50,000/– की दर से योजना मद से राशि आवंटित की गई थी। (छायाप्रति संलग्न)

निदेश दिया जाता है कि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों हेतु सामग्री एवं उपस्कर की उपर्युक्त सूची के अनुसार पूर्व में विभाग द्वारा आवंटित राशि से जिन सामग्रियों का क्रय नहीं हुआ है अथवा जो सामग्री/ उपस्कर क्षतिग्रस्त/खराब हो गये है, उन सामग्रियों एवं उपस्करों का नियमानुसार क्रय करने हेतु आवंटन भेजा जा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र भवन में सभी आवश्यक सुविधाएं यथा बिजली, पानी, शौचालय (महिला एवं पुरूष) इत्यादि उपलब्ध एवं कार्यरत हों।

निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

अपर सचिव